UPGK010011902026

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–585/2026

प्रियप्रवास दुबे, पुत्र– राजीव दुबे, उम्र– 25 वर्ष, पता– सुलेमाननगर, सुल्तानपुर, सी ब्लाक, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली।

.....आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य **.....प्रतिपक्षी,**

मुकदमा अपराध सं0–683/2025
धारा–318(4), 338, 336(3), 340(2), 111(2)ख भारतीय न्याय संहिता व 60/63 उत्तर प्रदेश उत्पाद शुल्क/आबकारी एक्ट
थाना–रामगढ़ताल, जनपद–गोरखपुर।

आदेश

1. अग्रिम जमानत का यह प्रार्थना–पत्र, आवेदक/अभियुक्त प्रियप्रवास दुबे के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो मुकदमा अपराध सं0–683/2025, धारा–318(4), 338, 336(3), 340(2), 111(2)ख भारतीय न्याय संहिता व 60/63 उत्तर प्रदेश उत्पाद शुल्क/आबकारी एक्ट, थाना–रामगढ़ताल, जनपद–गोरखपुर में वांछित अभियुक्त है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आवेदक/अभियुक्त प्रियप्रवास दुबे द्वारा प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है।

2. मामले के तथ्यों के अनुसार वादी मुकदमा दिनांक 10.10.2025 को समय 20.00 बजे के करीब उ0नि0 आशुतोष कुमार राय मुखबिर खास की सूचना पर मय हमराहियान व मुखबिर खास अमर उजाला तिराहा से पंचमुखी हनुमान मन्दिर पर पहुँचे। पंचमुखी हनुमान मन्दिर के दूसरी ओर शिव मन्दिर से कुछ पहले एक सफेद रंग की क्रेटा गाड़ी की ओर इशारा करके मुखबिर खास वहां से हट बढ़ गया। तत्पश्चात हम पुलिसवाले उस सफेद क्रेटा कार के पास पहुँचे तो देखा गाड़ी लॉक है। गाड़ी पर आगे व पीछे BR 29AZ 9321 लिखी नम्बर प्लेट लगी है। नम्बर प्लेट को जरिये ई चालान एप चेक किया गया तो उसके पंजीकृत स्वामी का नाम राजेश कुमार पुत्र बीरबल महतो मो0नं0 94712XXXXX पर सम्पर्क वार्ता की गयी तो वाहन स्वामी राजेश कुमार द्वारा बताया गया कि जो

गाड़ी का नम्बर आप बता रहे हैं वह मेरी ही क्रेटा कार जिसे मैंने बेचने के लिए कार बाजार पर खड़ी कर रखा है जो आज भी वहीं पर खड़ी है। तत्पश्चात मुझ उ0नि0 द्वारा का० रोहित रजक की सहायता से उक्त वाहन की मोबाइल से वीडियोग्राफी कराते हुए उक्त क्रेटा कार का लक सब्बल व अन्य उपकरणों की सहायता से हिकमत अमली से खोला गया तो गाड़ी के अन्दर से शराब की गंध आ रही थी और चालक सीट के पास शराब की बोतल दिखाई दी। जब मोबाइल का टार्च जलाकर गाड़ी के अन्दर चेक किया गया तो ज्ञात हुआ कि पूरी क्रेटा कार शराब की बोतलों से भरी हुई है। तत्पश्चात मुझ उ0नि0 द्वारा अन्य दरवाजों को अन्दर से खोलकर क्रेटा कार में रखी शराब की बोतलों को कार से निकालकर वहीं बगल में गिनती करते हुए रखा गया। सभी बोतलें सीसे के हरे रंग की हैं जिन पर स्टीकर लगे हुए हैं तथा स्टीकर पर ROYAL GREEN CLASSIC BLENDED WHISKY A BLEND OF IMPORTED DCOTCH MALTD AND FINEST INDIAN GRAIN SPIRIT, 75 डिग्री Proof, 42.8% v/v एवं FOR SALE IN HARYANA ONLY अंकित है। किसी भी बोतल पर इनकी कीमत नहीं अंकित है। बोतल पर हरे व सुनहरे रंग की ढक्कन लगी है जिस पर दो दो लेबल चस्पा है। बोतलों की गिनती की गई तो 180 ml. की 90 बोतल, 375 ml. की 670 बोतल, 750 ml. की 195 बोतल अर्थात कुल 1020 बोतल हरे रंग के सीसे की समय 00.35 बजे बरामद हुई। उक्त क्रेटा कार को अन्दर व बाहर से चेक किया गया तो हैण्डब्रेक के पास बने बाक्स में एक फोटो स्टूडियो का लिफाफा मिला जिस पर Studio GUPTA COLOR LAB PHOTO COPIERS, Shop No 7, GDA Complex, In Front of LIC Divisional Office, Tara Mandal Road, Gorakhpur, MOB: 99350XXXXX, gel9196@gmail.com, 99361XXXXX अंकित है, जिसके अन्दर एक व्यक्ति की सात अदद रंगीन फोटोग्राफ मिली। गाड़ी के बांयी ओर अगले गेट को खोलकर देखा गया तो दरवाजे के लक के पास काले स्टीकर पर MODEL CRETA, चेचिस नम्बर MALPC813LLM037554 व इंजन नम्बर D4FALM033763 अंकित मिला। उक्त चेचिस नम्बर को जरिये ई चालान एप चेक किया गया तो RC की डिटेल नहीं खुल रही है और निम्न मैसेज प्रदर्शित हो रहा है– Vehicle is flagged as Not To Be Transacted (NTBT) by JAIPUR SINGH Date: 2026.01.31 15:37:01 15 Reason: Document Owner (FIRST) RTO, Rajasthan due to reason Theft, E POLICE STATION अर्थात उक्त क्रेटा कार चोरी की है। तत्पश्चात मुझ उ0नि0 द्वारा क्रेटा कार से प्राप्त फोटोग्राफ में दिख रहे अज्ञात संदिग्ध की तलाश की गयी तो कोई लाभप्रद जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। मुझ उ0नि0 द्वारा फोटो स्टूडियो के मालिक से लिफाफा पर लिखे गये नम्बर पर सम्पर्क कर फोटो के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताये कि अभी तो बहुत्त रात हो गई है मैं फोटो की डिटेल बता दूंगा। तत्पश्चात मुझ उ0नि0 का० रामपुकार गिरि को ट्रांसपोर्टनगर भेजकर एक क्रेन मंगाया गया सुबह होने के कुछ समय बाद का० रामपुकार गिरि क्रेन लेकर आ गये। क्रेन की सहायता से क्रेटा कार को थाना रामगढ़ताल लाया गया तथा बरामदशुदा अवैध शराब 1020 बोतल व क्रेटा कार को सन्तरी पहरा व हे०मु० को दिखाकर थाना स्थानीय के मालखाना में दाखिल किया गया।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त मामले में पूर्णतया निर्दोष है। आवेदक/अभियुक्त ने तथाकथित कोई भी अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित अभियुक्त नहीं है। आवेदक/अभियुक्त न तो प्रश्नगत कथित क्रेटा वाहन का स्वामी है और न ही ड्राइवर है।

आवेदक/अभियुक्त के पास से कदापि रूप से उक्त शराब की बोतले नहीं बरामद हुई हैं। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त अग्रिम अंतरिम जमानत पर है, आवेदक/अभियुक्त द्वारा अग्रिम अन्तरिम जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है। इन समस्त आधारों पर उनके द्वारा आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4. उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की सक्रिय भूमिका रही है। यह भी कथन किया गया है कि न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त को विवेचक के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत प्रकरण में सहयोग करने के लिए अग्रिम अन्तरिम जमानत पर रिहा किया गया था लेकिन आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में विवेचक के समक्ष विवेचना में सहयोग करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। आवेदक/अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किया जा रहा है इसलिए प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी आवश्यक है। अतएव, मामले की गम्भीरता एवं आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को देखते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक द्वारा यह भी तर्क किया गया कि आवेदक/अभियुक्त उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम में वांछित था इसलिए उक्त अधिनियम में आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और वह जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई है।

5. मैंने, आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की विद्वतापूर्ण तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा जमानत पत्रावली का अवलोकन किया।

6. प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम में की जा चुकी है एवं आवेदक/अभियुक्त विवेचक के समक्ष उपस्थित होकर विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है। इसलिए आवेदक/अभियुक्त को वर्तमान प्रकरण में अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

7. तद्नुसार, आवेदक/अभियुक्त प्रियप्रवास दुबे की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 07.04.2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O. Code–UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.04.07 16:37:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court